

No. EXN-F(10)-5/2019.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub section (1) of section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under subsection (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 13/2019—राज्य कर

शिमला—2 28 मार्च, 2019

संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2019.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर का संदाय:—उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का प्रथम पैरा में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन द्वारा अपने कर का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 13/2019-State Tax

Shimla-2, the 28th March, 2019

No. EXN-F(10)-5/2019.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 14/2019—राज्य कर

शिमला-2, 28 मार्च, 2019

संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—5/2019.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या: ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—14/2017—लूज द्वारा तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017—राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा:

परन्तु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात्:—

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) मणिपुर
- (iii) मेघालय,